(28) (33)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

1381
11.10.2018

अधिसूचना

झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा राज्य में स्थापित गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु मापदण्डों का निर्धारण के लिए अधिसूचना ज्ञापांक:–59 / गो सेवा आयोग, राँची दिनांक:–02 / 07 / 2015 अधिसूचित है।

उक्त अधिसूचना की कंडिका –3 की उपकंडिका 3.3 एवं 3.4 निम्नवत है–

3.3" गो सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभ में अधिकतम 25 प्रतिशत सहायता अनुदान राशि बतौर अग्रिम दी जायेगी, जिसका व्यय करने के उपरांत गोशाला के अध्यक्ष / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा इसकी समीक्षा कर संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही द्वितीय किस्त के रूप में अगली 50 प्रतिशत राशि अनुमान्य होगी।"

3.4 "75 प्रतिशत कार्य समाप्ति के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात अंतिम 25 प्रतिशत अनुमान्य सहायता अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा"।

उपरोक्त कंडिका के अनुसार गो सेवा आयोग द्वारा निबंधित किसी भी गौशाला / संस्थान को तीन (3) किस्तों में राशि विमुक्त करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में तीन (3) किस्तों मे राशि विमुक्त करने मे कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निबंधित संस्थाओं को अनुदान हेतु स्वीकृत राशि को दो किस्तों में विमुक्त करने हेतु उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 3.4 को विलोपित करते हुए 3.3 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है:–

"3.3 गो सेवा आयोग के द्वारा दो किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जायेगी। प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 50 प्रतिशत बतौर अग्रिम विमुक्त की जायेगी, जिसके व्यय के उपरांत गोशाला के अध्यक्ष / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र को संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात आयोग द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में शेष 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी।"

2. अधिसूचना संख्या –59 / गो सेवा आयोग, दिनांक:–02 / 07 / 2015 की शेष सभी कंडिकाएँ / उप कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

3. तदनुसार अधिसूचना संख्या 59 / गो०से०आ०, दिनांक 02.07.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11/10/18

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव